न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)

मिसल नं. 151/2009 तारीख रजू 23.7.2009

उनवान

1. धोसी पुत्री मांगीलाल पत्नी नाथुलाल जाति लखेरा निवासी हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (राज०)

—वादिया—

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति लखेरा निवासी हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (राज०)

—प्रतिवादी—

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश निर्णय दि० 04/9/2019

वाद वादिया का मुख्य रूप से कथन है कि उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर $\frac{348}{0.07}$, $\frac{355}{0.49}$, $\frac{356}{0.40}$, $\frac{402}{0.06}$, $\frac{421}{0.52}$, $\frac{422}{0.14}$, $\frac{423}{0.29}$, $\frac{424}{0.16}$, $\frac{425}{0.07}$, $\frac{433}{0.34}$, $\frac{434}{0.37}$, $\frac{435}{0.29}$ कुल किता 12 रकबा 3.20 है वाके ग्राम हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह में स्थित है। उक्त आराजियात से प्रतिवादी का किसी प्रकार का तनिक भी संबंध व सरोकार नहीं है वह बिना किसी यथोचित कारण के ही वादिया के औरत जात होने का बेजा फायदा उठाते हुए उक्त आराजियात में वादिया के कब्जे काश्त में मदाखलत की धमकी दे रहा है व जबरन आराजियात पर कब्जा करना चाहता है। जिसका कि उसको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिया उक्त वादग्रस्त आराजियात की रिकार्डेड खातेदार मौके पर काबिज काश्तकार है जिसे अपनी उक्त आराजियात की सब प्रकार से रक्षा सुरक्षा करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः इसलिए वादिया को यह दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

अगर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हुक्म के लिए पाबन्द नहीं फरमाया गया तो प्रतिवादी लाठी व प्रभाव के जोर पर वादिया के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात में वादिया को बेदखल कर जबरन काश्त कर कब्जा कर लेगा। वादिया का बेदखल कर देगा व कानून को हाथ में लेकर आराजियात पर कब्जा कर लेगा जिससे वादिया अपने खातेदारी से होने वाले लाभ से वंचित हो जायेगी एवं वादिया को अपूर्णीय अपरिमित

क्षति होगी जिसकी पूर्ति आर्थिक रूप से कतई संभव नहीं हो सकेगी। वादिया के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा।

विवाद मूल दि० 15.6.2009 को प्रतिवादी ने एलानिया तौर पर धमकी दी कि मैं वादिया की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात में जबरन काश्त कर कब्जा करूंगा वादिया के कब्जे काश्त में मदाखलत करूंगा वादिया को बेदखल करूंगा पर उत्पन्न होकर दावा वादिया अंदर मियाद अन्दर क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा उत्पन्न होने पर यह दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है।

अतः वादिया पेश कर निवेदन है कि दावा वादिया विरुद्ध प्रतिवादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त वादग्रस्त आराजियात में वादिया के कब्जे काश्त खातेदारी में मदाखलत नहीं करें, वादिया को फसल काश्त करने व फसल काटने से मना नहीं करें। स्वयं जबरन फसल काश्त न करे। वादिया की काश्त शुदा फसल को स्वयं नहीं काटें वादिया को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर काश्त नहीं करें वादिया की खातेदारी विधिक अधिकारों का हनन नहीं करें। वादिया के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचावें।

बाद वादिया पेश होने पर तलबी प्रतिवादी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादिया व मन प्रतिवादी के बुजुर्ग रामबक्स की बनाई हुई है जिसमें 1/2 हि० वादिया का व 1/2 हि० प्रतिवादी का है। मौके पर भी इसी अनुसार काबिज काश्त है। रामबक्स के तीन पुत्र बालू गंगाराम नानूलाल हुए। गंगाराम लाऔलाद फौत हुआ। बालू के गणेश व श्रीलाल हुए। गणेश लाऔलाद फौत हुआ व श्रीलाल के लक्ष्मीनारायण के वारिसान मूलचन्द व गीता पुत्री है। नानूलाल के मांगीलाल व लादूलाल हुए। मांगीलाल के वारिस पत्नी फुन्दी (फौत) तथा वादिया धीती पुत्री है। वादग्रस्त आराजियात वादिया व प्रतिवादी के 1/2-1/2 खातेदारी में लगनी चाहिए थी। किन्तु जब प्रथमबार वर्ष 2010 में सेटलमेन्ट हुआ उससे पूर्व ही रामबक्स के तीनों पुत्रों बालू गंगाराम नानूलाल की मृत्यु हो चुकी थी और तत्समय तन्हा मांगीलाल ही सबसे समझदार व बड़ा था इसलिए समस्त आरा० की खातेदारी मांगीलाल के नाम लगाई। जिसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात उसकी पत्नी फुन्दी के नाम लगी

उसके बाद वादिया जो छगनलाल की पुत्री थी उसने अपने आप को मांगीलाल की पुत्री बताकर आराजियात गलत रूप से अपने नाम खातेदारी में लगवा ली। जबकि मौके पर ½-½ हिस्से पर काबिज काश्त थे।

उक्त आराजियात की खातेदारी वादिया के नाम लग जाने से उसके मन में बदनियती आ गयी। और वह कुछ लोगों के बहकावे में आकर आराजियात मुतनाजा को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए दि० 5.7.2009 को मिन प्रतिवादी को धमकी दी तब न्यायालय में आकर जानकारी की तथा घोषणा खातेदारी का वाद मूलचन्द बनाम प्रीती पेश किया। वादिया ने झूठे तथ्यों के आधार गलत व झूठा वाद पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावा पेश होने पर निम्नांकित तनकिहात कायम की गयी।

① आया आराजी वर्णित परिशिष्ट "अ" वादे ग्राम लीलूंदर वादिया के कब्जे काश्त व खातेदारी की होने व प्रतिवादी द्वारा बेजा-मजाहमत करने से वादिया प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी थी — वादिया -

② आया आराजियात मुतनाजा पैतृक रामबक्ष जी के समय की होने मांगीलाल नाथूलाल का सबसे बड़ा पुत्र होने से आराजियात अकेले के नाम लग गयी। जबकि प्रतिवादी का ½ हिस्सा व बदनियति गलत रूप से खातेदारी लगाने से वादिया का वाद खारिज योग्य थी — प्रतिवादी -

③ दादरसी क्या होगी।

वादिया ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2066 प्रदर्श 1 पेश किया तथा बयानात स्वयं वादिया प्रीती, गवाह दुर्गालाल, गवाह छोटू माली के करवाये। तथा प्रतिवादी मूलचन्द ने नकल जमाबन्दी संवत 2063-2066, रसीदें लगान, खतौनी बन्दोबस्त 2010-2029, खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014, सम्बत 2015-2016, सम्बत 2029 से 2032, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सम्बत 2063-2066 पेश किये।

दिनांक 22.8.2019 को प्रतिवादी एवं उसके अभि० उपस्थित नहीं आये जिस पर उसके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गयी।

बहस सुनी गयी। जो मुख्य रूप से वाद पत्र के अनुसार रही। हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस

पर मनन किया तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

तनकी नं. 1:- इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक नकल जमाबन्दी उदघृत। वादिया के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जो उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की है। वादग्रस्त आराजियात से प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई सरोकार या वास्ता किसी किस्म का नहीं है। वादिया अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षा हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की कानूनी रूप से अधिकारी है। क्योंकि वादिया वादग्रस्त आराजियात की रिकार्डेड खातेदार है प्रतिवादी द्वारा वादिया की उक्त आराजियात में गवाहान के बयानात से वादिया के कब्जे काश्त में दखल करना जाहिर है। जिसके लिए वादिया प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है इस प्रकार वादिया की यह तनकी सिद्ध होने से वादिया के हक में व प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रसीदें लगान जो वादिया व फुन्दी के नाम की हैं, खसरा गिरदावरियां समस्त के अनुसार वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा वादिया का है या इससे पहले मांगीलाल का व फुन्दी का होना जाहिर है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2027 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात मांगया के कब्जे काश्त व खातेदारी में होना जाहिर है। अर्थात् वादग्रस्त आराजियात का मूलचन्द (प्रतिवादी) की पैत्रक होना जाहिर नहीं है वादग्रस्त आराजियात पैत्रक नहीं होने के फलस्वरूप उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा होना प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी की यह तनकी सिद्ध नहीं होने के फलस्वरूप प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

अत: उपरोक्तानुसार वाद वादिया डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया

जाता है कि वोह स्वयं अथवा नौकर, चाकर, एजेण्ट, प्रतिनिधि, रिश्तेदार, मजदूर वर्ग के आराजी खसरा नम्बर $\frac{348}{0.07}$, $\frac{355}{0.49}$, $\frac{356}{0.40}$, $\frac{402}{0.06}$, $\frac{421}{0.52}$, $\frac{422}{0.14}$, $\frac{423}{0.29}$, $\frac{424}{0.16}$, $\frac{425}{0.07}$, $\frac{433}{0.34}$, $\frac{434}{0.37}$, $\frac{435}{0.29}$ कुल किता 12 रकबा 3.20 है० वाके ग्राम हमीरपुर तहसील टोडाभीमसिंह में वादिया के कब्जे काश्त खातेदारी में मदाखलत नहीं करें। वादिया को फसल काश्त करने से, फसल काटने से मना नहीं करें। स्वयं जबरन फसल काश्त न करें। वादिया की काश्त शुदा फसल को नहीं काटे। वादिया को जबरन बेदखल नहीं करें, स्वयं जबरन कब्जा कर काश्त न करें। वादिया के खातेदारी विधिक अधिकारों का हनन नहीं करें। वादिया को उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचावें। खर्चा फरीकेन अपना 2 वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 04/9/2019 को मैं (प्रा०) लिखाया जाकर हुक्म आज विवृत न्यायालय सुनाया गया।

हस्ता०
(उपखण्ड अधिकारी)
टोडाभीमसिंह